कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड सोजत सिटी

क्रमांकः अअसो / तक.स. / 2024–25 / 1063 दिनांक :– 23/07/2024

श्रीमान प्रधानाचार्य,
स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय,
सोजत, पाली।

विषय :– भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।
प्रसंग :– आपके प्रार्थना पत्र क्रमांक 54 दिनांक 04.07.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा **स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय, सोजत, पाली** भवन का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र चाहा गया था। संस्थान भवन का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र निम्न शर्तो पर जारी किया जाता है :–

1. भवन मे नवीन निर्माण कार्य अथवा मरम्मत कार्य करने की स्थिति मे सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्वानुमति लेकर सुरक्षा के समस्त उपाय अपनाये जावे। उपरोक्त कार्य के कारण भवन संरचनात्मक दृष्टि से असुरक्षित होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान प्रशासन की रहेगी।
2. भवन की छत अथवा दीवार मे त्रुटी या दरार दृष्टिगत होने पर सुरक्षा के समस्त उपाय अपनाते हुऐ कार्य करे व भवन सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखे।
3. वर्षा ऋतु से पूर्व संस्थान भवन की सुरक्षा हेतु समस्त उपाय किये जावे जिसकी जिम्मेदारी संस्था की होगी।
4. यह भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र **23.07.2024 से 3 वर्ष** तक के लिऐ मान्य होगा।
5. चूंकि इस संस्थान भवन का निर्माण सा.नि.वि द्वारा नही करवाया गया है, अतः नीव मे प्रयुक्त सामग्री की जानकारी इस कार्यालय को नही है।
6. भवन सुरक्षा हेतु शिक्षा विभाग अथवा अन्य द्वारा जारी दिशा निर्देशों, परिपत्रो की अक्षरत् पालना की जावे।
7. उक्त भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र निजी तोर पर निरीक्षण किया जाकर प्रदान किया जा रहा है।
8. यह भवन सामान्य परिस्थितियो मे संरचनात्मक रूप से सुरक्षित है ना कि प्राकृतिक आपदा जैसी भूकम्प, बाढ, अतिवृष्टि इत्यादि मे।
9. यदि संस्थान भवन का उपयोग शिक्षण गतिविधियों के अतिरिक्त किसी अन्य गतिविधियों के लिए किया जाता है तो यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।

(सुनीत कुमार मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि.खण्ड सोजत सिटी

क्रमांकः अअसो / तक.स. / 2024–25 / दिनांक :–

प्रतिलिपि सहायक अभियता सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय सोजत को उक्त संदर्भ सूचनार्थ प्रेषित है।

(सुनीत कुमार मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि.खण्ड सोजत सिटी